झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

2698
25/8/15

संकल्प

विषयः– मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का कार्यान्वयन।

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य एवं अन्य विकास योजनाओं को मूर्त्त रूप देने एवं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से कल्याण विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विभाग द्वारा यह अनवरत प्रयास किया जा रहा है कि विभाग संवैधानिक दायित्यों के अनुपालन के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाये।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री द्वारा हूल दिवस के अवसर पर **" मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना"** प्रारम्भ किए जाने की घोषणा की गई है।

विभाग के संलेख ज्ञापांक– 2479, दिनांक– 11.08.2015 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक– 11.08.2015 में मद संख्या–12 के रूप में सम्मिलित किया गया एवं मंत्रिमंडल द्वारा निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृत दी गई :–

"(i) मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का कार्यान्वयन Mission Mode में किया जायेगा।

(ii) योजना के उद्देश्य एवं उसके कार्यान्वयन को ससमय सफल बनाने हेतु परियोजना निदेशक, (Mission Director) का विधिवत् पद सृजित कर पदस्थापन की कार्रवाई शीघ्र की जाय।

(iii) साथ ही प्रशासी विभाग योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन/ प्राथमिकता के निर्धारण से संबंधित मापदण्ड का निरूपन अलग कर करते हुए उस पर मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त कर तदनुरूप कार्रवाई करेगा।

(iv) चयनित ग्रामों के शिक्षित बेरोजगार 05 युवक–युवतियों/स्वयंसेवी संस्था को कल्याण विभाग द्वारा अधिकतम 2.00 लाख अथवा उपकरण उपलब्ध कराने की योजना का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त कर सुनिश्चित कर ली जाय।"

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना प्रारम्भ कराने का मुख्य लक्ष्य यह है कि सुदूरवर्ती अनुसूचित जनजाति ग्रामों में जनजातियों का सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति हो एवं स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार के साथ–साथ ग्रामों का समेकित विकास परिलक्षित हो।

उक्त योजना का कार्यान्वयन 80 प्रतिशत से अधिक जनजातीय बाहूल्य ग्रामों के सर्वांगिन विकास हेतु किया जाएगा। झारखण्ड राज्य में 80 प्रतिशत से अधिक जनजाति बाहूल्य ग्रामों की संख्या कुल 5755 है।

29.8.15

25/8

2. उक्त ग्रामों में चरणबद्ध तरीक से पंचवर्षीय अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन का लक्ष्य है जो निम्नवतः है :–

क्र०सं०	कार्यान्वयन का वर्ष	ग्रामों की संख्या
1	2015–16	1000
2	2016–17	1200
3	2017–18	1200
4	2018–19	1200
5	2019–20	1155
	योग	**5755**

3. विभाग इस योजनानतर्गत ग्रामों के चयन/प्राथमिकता के निर्धारण से संबंधित मापदण्ड का निरूपन अलग से करते हुए उस पर मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करेगा। उक्त चयनित ग्रामों में पारम्परिक ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम के विकास के लिए समेकित योजनाऐं बनायी जाएगी। प्रत्येक ग्रामों में एक महिला स्वयं सहायता समूह का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को सबल बनाने के लिये एक लाख रूपये सहायता अनुदान के रूप में दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन सहायता समूह को व्यवसाय प्रारम्भ कराने हेतु कल्याण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इन समूह द्वारा उस गाँव की सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति का आंकलन करते हुए व्यवसाय का चयन किया जाएगा ताकि स्थानीय जनजाति समुदाय के लिए रोजगार सृजन के साथ–साथ आय–वृद्धि हो सके।

4. कल्याण विभाग द्वारा चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से इन महिला स्वयं सहायता समूह को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन एवं उनके क्षमता सम्वर्धन के लिए तथा Forward Marketing Linkage स्थापित करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था से संस्थागत पार्टनर के रूप में सहयोग प्राप्त करेगी।

5. प्रत्येक चयनित ग्रामों में ग्राम सभा द्वारा 5 शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु चयन किया जाएगा। शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों का कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक होगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त युवक एवं युवतियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए विस्तृत मापदण्ड विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक APEX Committee का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग, सचिव वित्त विभाग, सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं सचिव, सहकारिता विभाग सदस्य होंगे तथा सचिव, कल्याण विभाग सदस्य सचिव होंगे। प्रत्येक 6 माह में APEX Committee की बैठक आहूत की जायेगी।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक Executive Committee का गठन किया जाएगा, जिसमें सचिव योजना–सह–वित्त विभाग, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिव, कल्याण विभाग, सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं सचिव, कृषि विभाग सदस्य होंगे तथा आदिवासी कल्याण आयुक्त, सदस्य सचिव होंगे। प्रत्येक तीन माह में Executive Committee की बैठक आहूत की जायेगी।

8. जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया जाएगा। TSP क्षेत्रों में संबंधित परियोजना निदेशक, ITDA सदस्य सचिव होंगे। संबंधित जिला के सिविल सर्जन, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर कार्यरत कौशल विकास पदाधिकारी सदस्य होंगे। प्रत्येक माह में योजना की समीक्षात्मक बैठक आहूत की जायेगी।

9. योजनाओं के कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर आदिवासी कल्याण आयुक्त के नियंत्रणाधीन तथा जिला स्तर पर परियोजना निदेशक ITDA के नियंत्रणाधीन एक PMU (Project Management Unit) का गठन किया जाएगा। इसके संचालन के लिए आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा निर्धारित संविदा/मानदेय की राशि के आधार पर कर्मियों की सेवा प्राप्त की जाएगी।

10. 1000 ग्रामों के महिला स्वयं सहायता समूह को कुल 1.00 लाख रू० की दर से (1000x100000) 100000000.00 रू० (दस करोड़ रू०) तथा 1000 ग्रामों के प्रत्येक ग्राम के युवक/युवतियों को रोजगार सृजन हेतु 200000.00x5x1000=1,00,00,00,000.00 रू० कुल 1100000000.00 रू० का व्यय भार होगा।

11. चयनित ग्रामों में झारखण्ड राज्य लघु वन उपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि० (झामकोफेड) तथा झारखण्ड राज्य सरकारी लाह क्रय–विक्रय एवं आहरण संघ लि० (झासकोलैम्प) द्वारा लाह तथा लघु वन उपज का क्रय न्यूनतम समर्थन मुल्य पर किया जायेगा ताकि समूह/परिवारों की आय वृद्धि हो सके।

12. चयनित ग्रामों में नियमित रूप से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा जिसमें मलेरिया/सिकलसेल एनिमिया एवं अन्य आसाध्य बिमारियों से पीड़ित जनजाति समुदाय के मरीजों का समुचित इलाज किया जाएगा ताकि उनके आर्थिक विकास के साथ–साथ जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके।

13. योजना का कार्यान्वयन मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना उपशीर्ष–01–शिक्षा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)– विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)'' के तहत प्रावधानित राशि के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

14. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची होंगे। सचिव, कल्याण विभाग इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
15. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।
16. प्रस्ताव पर योजना–सह–वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
17. इसमें मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–4 / मुख्य०ग्रा०वि०–07 / 15 2698 राँची, दिनांकः 25/8/15
प्रतिलिपिः– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राज्यपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–4 / मुख्य०ग्रा०वि०–07 / 15 2698 राँची, दिनांकः 25/8/15
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / आदिवासी कल्याण आयुक्त / संबंधित उपायुक्त / संबंधित उप विकास आयुक्त / कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी / कर्मचारी / संबंधित परियोजना निदेशक, ITDA / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम / संबंधित अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के सचिव।

25/8